XI रिज़र्व बैंक का 2008-09 का लेखा

रिज़र्व बैंक के 30 जून 2009 के तुलनपत्र ने वैश्विक आर्थिक संकट के संक्रमण का सामना करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए चलनिधि बढ़ाने के उपायों का प्रभाव दर्शाया। अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा संकट के प्रतिसाद में किए गए नीतिगत प्रयासों के कारण उनके तुलनपत्रों में हुए व्यापक विस्तार के विपरीत रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र का बरताव एकदम अलग था क्योंकि सीआरआर में कटौती और सरकार के एमएसएस शेषों की मुक्ति जैसे विशिष्ट उपायों से रिज़र्व बैंक की देयताओं में तदनुरूपी संकुचन हुआ हालांकि ये दोनों उपाय वित्तीय प्रणाली में भारी मात्रा में चलनिधि की आपूर्ति करने के मुख्य माध्यम थे। इस प्रकार, तुलनपत्र के आकार में संकुचन के माध्यम से रिज़र्व बैंक चलनिधि की उपलब्धता बढ़ा सका। तुलनपत्र के आस्ति पक्ष में भी संकुचन विदेशी आस्तियों में गिरावट से प्रेरित था। ओएमओ तथा कुछ भारतीय वित्तीय संस्थाओं की चलनिधि आवश्यकता के निभाव के कारण देशी आस्तियों में विस्तार होने के बावजूद व्यापक और निरंतर रिवर्स रिपो परिचालनों के कारण निवल प्रभाव से भी तुलनपत्र का आकार कम हुआ। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक की सकल आय और व्यय क्रमश: 60,731.98 करोड़ रुपए और 8,217.88 करोड़ रुपए थे; आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) दोनों के लिए विनिधान आवश्यकताएं पूरी करने के बाद सरकार को अंतरण के लिए 25,009 करोड़ रुपए का विनिधान किया गया। विदेशी और देशी स्रोतों से हुआ अर्जन क्रमश: 50,796.21 करोड़ रुपए और 9,935.77 करोड़ रुपए था।

XI.1 रिज़र्व बैंक के 2008-09 के दौरान के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम इस अध्याय में दिए गए हैं।

आय और व्यय

XI.2 रिज़र्व बैंक की पिछले पांच वर्षों की सकल आय, व्यय, विनियोजन और प्रयोज्य निवल आय नीचे प्रस्तुत की गई है (सारणी 11.1)।

सारणी 11.1: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
कुल आय (सकल)	**19,028.28**	**26,320.31**	**41,039.73** **(75,348.33)** #	**57,750.79**	**60,731.98**
निम्नलिखित को अंतरण घटाएं:					
(i) आकस्मिक आरक्षित निधि	6,125.92	10,936.42	20,488.97	33,430.74	26,191.40
(ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि	687.09	1,126.79	1,971.51	3,207.92	1,309.70
कुल (i + ii)	6,813.01	12,063.21	22,460.48	36,638.66	27,501.10
कुल आय (निवल)	12,215.27	14,257.10	18,579.25 (52,887.85) #	21,112.13	33,230.88
कुल व्यय	**6,811.27**	**5,849.10**	**7,164.25**	**6,097.13**	**8,217.88**
निवल प्रयोज्य आय	5,404.00	8,408.00	11,415.00 (45,723.60) #	15,015.00	25,013.00
घटाएं: निधियों में अंतरण *	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सरकार को अंतरित अधिशेष	5,400.00	8,404.00	11,411.00 (45,719.60) #	15,011.00	25,009.00

: कोष्ठकों के आंकड़ों में 29 जून 2007 को विनिवेशित एसबीआइ के शेयरों की बिक्री के लाभ सहित राशियां शामिल हैं।

* : पांच वर्ष में प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि को अंतरित की गई है।

सारणी 11.2: सकल आय

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
क. विदेशी स्रोत					
ब्याज, बट्टा, विनिमय	16,979.47	24,538.03	35,152.99	51,883.27	50,796.21
ख. देशी स्रोत					
(i) ब्याज	1,607.34	1,207.04	5,144.52	4,958.35	9,056.27
(ii) एसबीआइ के शेयरों में निवेश की बिक्री से लाभ	-	-	34,308.60	-	-
(iii) अन्य अर्जन	441.47	575.24	742.22	909.17	879.50
कुल : [(i)+(ii)+(iii)]	2,048.81	1,782.28	40,195.34 (5,886.74)	5,867.52	9,935.77
ग. कुल आय (सकल)(क+ख)	**19,028.28**	**26,320.31**	**75,348.33 (41,039.73)**	**57,750.79**	**60,731.98**

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े एसबीआइ के शेयरों की बिक्री से हुए 34,308.60 करोड़ रुपए के लाभ को छोड़कर हैं।

भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष

XI.3 भारत सरकार को 2008-09 के लिए अंतरणीय अधिशेष 25,009.00 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 1436.00 करोड़ रूपए विशेष प्रतिभूतियों के विपणन योग्य प्रतिभूतियों में रूपांतरण के कारण ऐसी प्रतिभूतियों के रुपांतरण के फलस्वरूप सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय में अंतर के लिए सरकार को मुआवजे स्वरूप दिया गया ब्याज अंतर हैं।

आय

XI.4 रिजर्व बैंक की 2008-09 की सकल आय 2007-08 के 57,750.79 करोड़ रुपए की तुलना में 60,731.98 करोड़ रुपए थी जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 5.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसका मुख्य कारण देशी स्रोतों से आय में वृद्धि था। उक्त वर्ष के दौरान देशी स्रोतों से आय में 69.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 11.2 और चार्ट XI.1)।

XI.5 आकस्मिकता आरक्षित निधि, आस्ति विकास आरक्षित निधि में अंतरण का हिस्सा और कुल आय के प्रतिशत के रूप में सरकार को अंतरित अधिशेष सारणी 11.3 में दिया गया है।

विदेशी स्रोतों से अर्जन

XI.6 विदेशी मुद्रा आस्तियों के अभिनियोजन और स्वर्ण से रिज़र्व बैंक को हुई आय 2007-08 के 51,883.27 करोड़ रुपए से 1,087.06 करोड़ रुपए (2.10 प्रतिशत) कम होकर 2008-09 में 50,796.21 करोड़ रुपए रह गई (सारणी 11.4)। इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दरों में गिरावट आना था। प्रतिभूतियों पर मार्क-टू-मार्केट मूल्यह्रास के लेखांकन से पहले विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण पर अर्जन की दर 2007-08 के 5.09 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 4.24 प्रतिशत थी। मूल्यह्रास के लिए लेखांकन के बाद विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण पर अर्जन की दर 2007-08 के 4.82 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 में 4.16 प्रतिशत रह गई।

चार्ट XI.1: आय के स्रोत

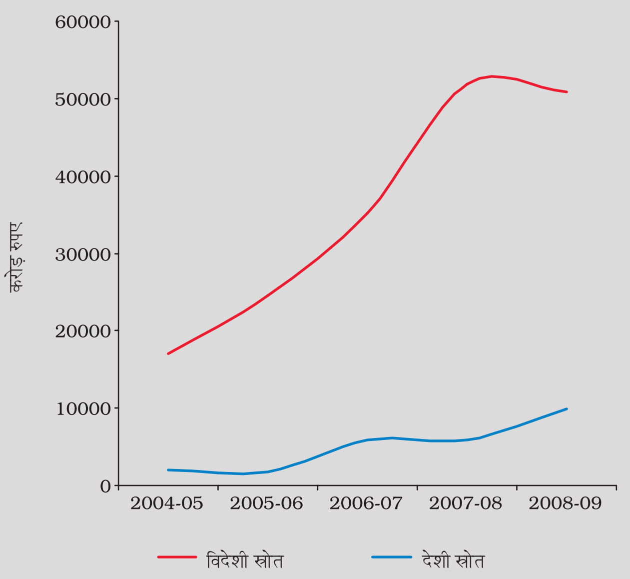

सारणी 11.3: आकस्मिकता तथा आस्ति विकास आरक्षित निधियां और सरकार को अधिशेष अंतरण

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
कुल आय (सकल)	**19,028.28**	**26,320.31**	**41,039.73 ***	**57,750.79**	**60,731.98**
आकस्मिकता आरक्षित निधि को अंतरण	6,125.92 (32.19)	10,936.42 (41.55)	20,488.97 (49.92)	33,430.74 (57.89)	26,191.40 (43.13)
आस्ति विकास आरक्षित निधि को अंतरण	687.09 (3.61)	1,126.79 (4.28)	1,971.51 (4.80)	3,207.92 (5.55)	1,309.70 (2.16)
सरकार को अधिशेष का अंतरण	5,400.00 (28.38)	8,404.00 (31.93)	11,411.00 * (27.80)	15,011.00 (25. 99)	25,009.00 (41.18)

* : एसबीआइ के शेयरों की बिक्री से हुए लाभ को छोड़कर।
टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कुल आय का अनुपात दर्शाते हैं।

देशी स्रोतों से आय

XI.7 देशी स्रोतों से आय 2008-09 में 9,935.77 करोड़ रुपए थी जो पिछले वर्ष के 5,867.52 करोड़ रुपए के स्तर से अधिक थी। इस अधिक आय का प्राथमिक कारण 'देशी प्रतिभूतियों पर ब्याज और एलएएफ परिचालन' में हुई वृद्धि है, जो कि 2007-08 के 4,533.87 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 8,683.11 करोड़ रुपए हुए और 'ऋण तथा अग्रिम' पर ब्याज, जो कि 2007-08 के 325.60 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 1,254.80 करोड़ रुपए हुए, है (सारणी 11.5)।

सारणी 11.4: विदेशी स्रोतों से अर्जन

(करोड़ रुपए)

मद	निम्नलिखित तारीख को		घट-बढ़	
	30 जून 2008	30 जून 2009	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	12,98,552.05	12,17,541.80	(-) 81,010.25	(-) 6.24
स्वर्ण	39,548.32	46,914.09	7,365.77	18.62
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	47.57	2.48	(-) 45.09	(-) 94.79
आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति*	2,268.53	5,973.89	3,705.36	163.34
कुल विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	13,40,416.47	12,70,432.26	(-) 69,984.21	(-) 5.22
औसत-विदेशी मुद्रा आस्तियां	10,75,984.86	12,19,693.16	1,43,708.30	13.36
अर्जन (ब्याज, बट्टा, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूति पर पूंजीगत लाभ/हानि [क]	54,715.15	51,688.38	(-) 3,026.77	(-) 5.53
प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास [ख]	2,831.88	892.17	(-) 1,939.71	(-) 68.50
मूल्यह्रास को घटाकर अर्जन [क-ख]	51,883.27	50,796.21	(-) 1,087.06	(-) 2.10
ज्ञापन:				
प्रतिभूतियों के मूल्य में हुई वृद्धि जो वसूली नहीं गई	2,122.72	10,896.95	8,774.23	413.35
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में अर्जन	5.09	4.24	-	-
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में अर्जन (मूल्यह्रास घटाकर)	4.82	4.16	-	-

* : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में आरक्षित अंश की स्थिति, जो 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दर्शाई गई थी, जिसे 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से आरक्षित निधि में शामिल किया गया है।

सारणी 11.5 : देशी स्रोतों से अर्जन

(करोड़ रुपए)

मद	निम्नलिखित तारीख को		घट-बढ़	
	30 जून 2008	30 जून 2009	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
देशी आस्तियां	**1,64,431.13**	**1,90,652.64**	**26,221.51**	**15.95**
देशी आस्तियों का साप्ताहित औसत	1,06,412.90	1,72,220.65	65,807.75	61.84
अर्जन	**5,867.52**	**9,935.77**	**4,068.25**	**69.34**
जिसमें से:				
ब्याज तथा अन्य आय	4,958.35	9,056.27	4,097.92	82.65
(i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	7,089.80	16,500.32	9,410.52	132.73
(ii) प्रतिभूतियों पर ब्याज [क-ख]	(-) 2,514.19	(-) 8,747.54	(-) 6,233.35	(-) 247.93
जिसमें से:				
(क) देशी आस्तियों पर ब्याज, एलएएफ परिचालन और लाभांश	4,533.87	8,683.11	4,149.24	91.52
(ख) प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास	7,048.06	17,430.65	10,382.59	147.31
(iii) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	325.60	1,254.80	929.20	285.38
(iv) अन्य ब्याज प्राप्तियां	57.14	48.69	(-) 8.45	(-) 14.79
अन्य अर्जन	909.17	879.50	(-) 29.67	(-) 3.26
(i) बट्टा	-	-	-	-
(ii) विनिमय	0.01	0.01	0.00	0.00
(iii) कमीशन	521.19	778.12	256.93	49.30
(iv) वसूला गया किराया और अन्य	387.97	101.37	(-) 286.60	(-) 73.87
ज्ञापन:				
प्रतिशत के रूप में अर्जन (औसत देशी आस्तियों पर)	5.51	5.77	-	-

व्यय

XI.8 रिज़र्व बैंक का कुल व्यय 2007-08 के 6,097.13 करोड़ रुपए से 2,120.75 करोड़ रुपए (34.78 प्रतिशत) बढ़कर 2008-09 में 8,217.88 करोड़ रुपए हो गया (सारणी 11.6 और चार्ट XI.2)।

स्थापना व्यय

XI.9 स्थापना व्यय 2007-08 के 1,430.87 करोड़ रुपए से 1,017.38 करोड़ रुपए (71.10 प्रतिशत) बढ़कर 2008-09 में 2,448.25 करोड़ रुपए हो गया। स्थापना व्यय में 1,037.92

सारणी 11.6: व्यय

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
I. ब्याज भुगतान	**1,386.28**	**1,524.41**	**1,135.38**	**2.58**	**1.33**
जिसमें से:					
अनुसूचित बैंक	1,276.83	1,523.72	1,134.85	1.90 *	0.00 *
II. स्थापना	**1,653.17**	**919.88**	**1,425.81**	**1,430.87**	**2,448.25**
III. गैर-स्थापना	**3,771.82**	**3,404.81**	**4,603.06**	**4,663.68**	**5,768.30**
जिसमें से:					
क) एजेंसी प्रभार	1,824.17	1,833.55	2,042.50	2,111.14	2,999.19
ख) प्रतिभूति मुद्रण	1,443.57	1,034.86	2,020.89	2,032.23	2,063.17
जोड़ [I+II+III]	**6,811.27**	**5,849.10**	**7,164.25**	**6,097.13**	**8,217.88**

* : भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के अनुसरण में पात्र सीआरआर शेषों पर देय ब्याज 31 मार्च 2007 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से वापस लिया गया।

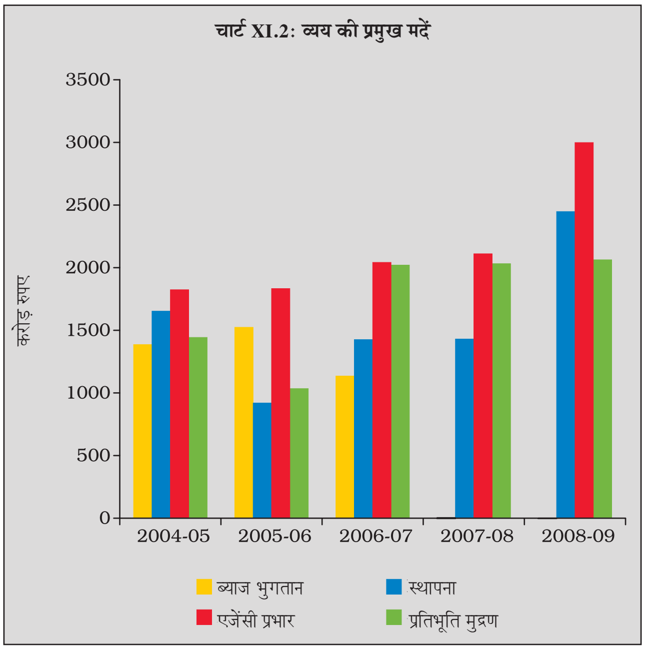

करोड़ रुपए की (पिछले वर्ष 221.02 करोड़ रुपए की) उपदान और अधिवर्षिता निधि और छुट्टी नकदीकरण निधि (सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी) का प्रावधान भी शामिल है। इस प्रावधान में वृद्धि का मुख्य कारण दीर्घावधि कर्मचारी लाभों में वृद्धि है। कुल स्थापना व्यय में वेतन 17.39 प्रतिशत, भत्ते 15.34 प्रतिशत और अन्य विविध व्यय 23.41 प्रतिशत थे। कुल स्थापना व्यय में विभिन्न निधियों (अर्थात् भविष्य निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि आदि) के प्रति व्यय 43.86 प्रतिशत था।

स्थापनेतर व्यय

XI.10 प्रतिभूति मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि) प्रभारों पर 2008-09 में हुआ व्यय 2007-08 के 2,032.23 करोड़ रुपए से 30.94 करोड़ रुपए (1.52 प्रतिशत) बढ़कर 2,063.17 करोड़ रुपए हो गया। बैंक नोटों की आपूर्ति 2007-08 के 13,930 मिलियन नग की तुलना में 2008-09 में 269 मिलियन नग कम होकर 13,661 मिलियन नग रह जाने के बावजूद, प्रतिभूति मुद्रण संबंधी व्यय में हुई थोड़ी वृद्धि का कारण बैंक नोटों के मूल्यों में थोड़ी वृद्धि होना था। भुगतान किए गए एजेंसी प्रभार 2007-08 के 2,111.14 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में 2,999.19 करोड़ रुपए थे। 888.05 करोड़ रुपए की यह वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई थी: (क) प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किए गए हामीदारी कमीशन की राशि बढ़कर भारत सरकार के उधारों की मात्रा में भारी वृद्धि के संदर्भ में 2007-08 के 18.33 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में 249.45 करोड़ रुपए हो गई और (ख) एजेंसी कमीशन 2007-08 के 2,092.81 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 2,749.74 करोड़ रुपए हो गया जिसका मुख्य कारण एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सरकारी लेनदेनों की मात्रा में वृद्धि था।

तुलनपत्र

देयताएं

राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

XI.11 राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 ग के अंतर्गत 1 जुलाई 1964 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित की गई थी। 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक के अधिशेष आय में से 1.00 करोड़ रुपए जमा किए जाने के सिवाय उक्त निधि में और कोई परिचालन नहीं हुआ।

राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

XI.12 राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि का गठन रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 घ (1) के अंतर्गत जनवरी 1989 में किया था। 2008-09 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिशेष में से उक्त निधि को 1.00 करोड़ रुपए का सांकेतिक अंशदान किया गया।

जमाराशि - बैंक

XI.13 'जमाराशि - बैंक' बैंकों द्वारा सीआरआर बनाए रखने और भुगतान अपेक्षाओं के लिए कार्यशील निधि के रूप में रिज़र्व बैंक में उनके चालू खाते में बनाए रखे गए शेषों को दर्शाता है।

जमाराशि - अन्य

XI.14 'जमाराशि - अन्य' में वित्तीय संस्थाओं की जमाराशियां, कर्मचारी भविष्य निधि की जमाराशियां और फुटकर जमाराशियां शामिल हैं।

अन्य देयताएं

XI.15 'अन्य देयताओं' में रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधि और प्रावधान, मुद्रा और स्वर्ण पूनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) तथा सरकार को अंतरित होने तक अलग रखे गए अधिशेष, शामिल हैं। 'अन्य देयताओं' में शेष राशी 30 जून 2008 के 3,22,968.10 करोड़ रुपए से 72,739.45 करोड़ रुपए (22.52 प्रतिशत) बढ़कर 30 जून 2009 को 3,95,707.55 करोड़ रुपए हो गई, जिसका मुख्य कारण मुद्रा और स्वर्ण पूनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) के स्तर में वृद्धि था।

XI.16 'अन्य देयताएं' में दर्शाई गई आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि रिज़र्व बैंक द्वारा भिन्न तुलनपत्र शीर्ष के रूप में धारित 6,500.00 करोड़ रुपए की 'आरक्षित निधि' के अतिरिक्त है।

मुद्रा और स्वर्ण पूनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) और विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए)

XI.17 विनिमय दर और/या स्वर्ण-मूल्य में घट-बढ़ के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन में लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में नहीं लिया जाता किंतु इसे सीजीआरए नामक तुलनपत्र शीर्ष में रखा जाता है। शेष राशि विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन पर जमा हुआ निवल लाभ दर्शाती है। 2008-09 के दौरान, सीजीआरए में 35,630.20 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी जिससे इसकी शेष राशि 30 जून 2008 के 1,63,211.83 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2009 को 1,98,842.03 करोड़ रुपए हो गई। सीजीआरए में वृद्धि का कारण अमरीकी डॉलर की तुलना में अन्य मुद्राओं में मूल्यह्रास, अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्यह्रास और स्वर्ण मूल्य में वृद्धि था। ईईए की शेष राशि वायदा वचनबद्धताओं में से हुई विनिमय हानियों के लिए किया गया प्रावधान दर्शाती है। 30 जून 2009 को ईईए में 26.98 करोड़ रुपए का शेष था (सारणी 11.7)।

सारणी 11.7: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते तथा विदेशी मुद्रा समकरण खाते में शेष राशियां

(करोड़ रुपए)

30 जून की स्थिति के अनुसार	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता	विदेशी मुद्रा समकरण खाता
1	2	3
2005	26,906.21	0.50
2006	86,789.18	3.28
2007	21,723.52	9.68
2008	1,63,211.83	-
2009	1,98,842.03	26.98

आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि

XI.18 रिज़र्व बैंक अनपेक्षित और न देखी गई आकस्मिकताओं के समाधान के लिए आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर) बनाए रखता है। सीआर में रखी शेष राशि 30 जून 2008 के 1,27,200.81 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2009 को 1,53,392.21 करोड़ रुपए हो गई क्योंकि रिज़र्व बैंक की आय में से 2008-09 के दौरान सीआर में 26,191.40 करोड़ रुपए अंतरित किए गए थे। सीआर की शेष राशि आकस्मिक देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

XI.19 रिज़र्व बैंक ने आंतरिक पूंजी व्यय पूरा करने तथा अपनी सहायक और सहयोगी संस्थाओं में निवेश करने की दृष्टि से 1997-98 में एक अलग आस्ति विकास आरक्षित निधि (एनडीआर) का गठन किया जिसका उद्देश्य सीआर और एडीआर के 12 प्रतिशत के समग्र सांकेतिक लक्ष्य के भीतर रिज़र्व बैंक की कुल आस्तियों के एक प्रतिशत तक पहुंचना था। 2008-09 में, आय में से 1,309.70 करोड़ रुपए की राशि एडीआर में अंतरित की गई जिससे उसका स्तर 30 जून 2008 के 12,772.25 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2009 को 14,081.95 करोड़ रुपए हो गया। 30 जून 2009 को सीआर और एडीआर संयुक्त रूप से रिज़र्व बैंक की कुल आस्तियों का 11.89 प्रतिशत था (सारणी 11.8)। एडीआर अब रिज़र्व बैंक की आस्तियों का एक प्रतिशत है।

सारणी 11.8: आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि में शेष राशियां

(करोड़ रुपए)

30 जून के अनुसार	आकस्मिकता आ. निधि में शेष	आस्ति विकास आ. निधि में शेष	कुल	कुल आस्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4(2+3)	5
2005	62,344.68	6,466.03	68,810.71	10.08
2006	73,281.10	7,592.82	80,873.92	10.00
2007	93,770.07	9,564.33	1,03,334.40	10.31
2008	1,27,200.81	12,772.25	1,39,973.06	9.57
2009	1,53,392.21	14,081.95	1,67,474.16	11.89

आस्तियां

विदेशी मुद्रा आस्तियां

XI.20 विदेशी मुद्रा आस्तियों में निर्गम विभाग में धारित विदेशी प्रतिभूतियां, विदेश में धारित शेषराशि और बैंकिंग विभाग में धारित विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश आते हैं। ये आस्तियां 30 जून 2008 के 12,98,552.05 करोड़ रुपए से 81,010.25 करोड़ रुपए कम होकर 30 जून 2009 को 12,17,541.80 करोड़ रुपए रह गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों के स्तर में कमी का कारण देशी विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीकी डॉलर की निवल बिक्री था (सारणी 11.9 और चार्ट XI.3)।

भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश

XI.21 एलएएफ परिचालनों के तहत प्रतिभूति अंतरण को समायोजित किए बिना भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश 30 जून 2008 के 72,540.33 करोड़ रुपए से 1,26,086.86 करोड़ रुपए बढ़कर 30 जून 2009 को

सारणी 11.9: बकाया विदेशी मुद्रा और देशी आस्तियां

(करोड़ रुपए)

30 जून के अनुसार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	देशी आस्तियां
1	2	3
2005	5,75,863.66	1,06,952.94
2006	7,18,701.18	90,106.99
2007	8,39,878.79	1,62,058.59
2008	12,98,552.05	1,64,431.13
2009	12,17,541.80	1,90,652.64

चार्ट XI.3: विदेशी मुद्रा और देशी आस्तियों में प्रवृत्तियां (जून के अंत में)

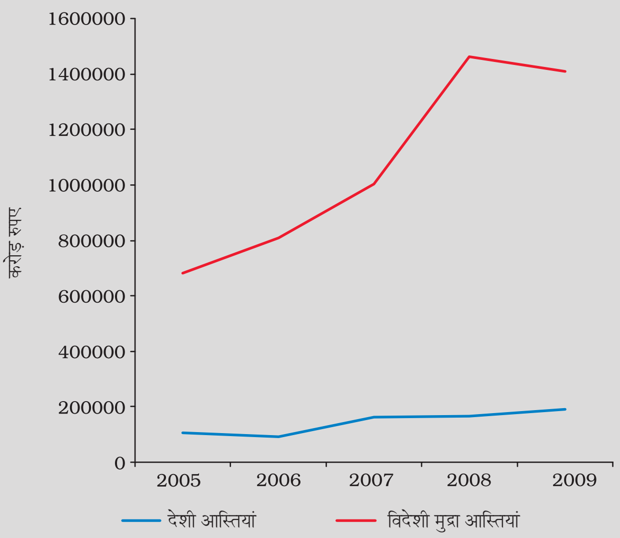

1,98,627.19 करोड़ रुपए हो गया। यह वृद्धि विशेष बाजार परिचालन के तहत तेल मार्केटिंग कंपनियों से विशेष प्रतिभूतियों (अर्थात् तेल बांड) की खरीद और खुले बाजार के परिचालनों के कारण हुई थी।

सहायक और सहयोगी संस्थाओं के शेयरों में निवेश

XI.22 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक की सहायक और सहयोगी संस्थाओं के शेयरों में निवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ (सारणी 11.10)।

सारणी 11.10: सहायक / सहयोगी संस्थाओं के शेयरों में निवेश

(करोड़ रुपए)

संस्था	निम्न तारीख को धारित शेयरों का बही मूल्य	
	30 जून 2008	30 जून 2009
1	2	3
1. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	50.00	50.00
2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1,450.00	1,450.00
3. राष्ट्रीय आवास बैंक	450.00	450.00
4. भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा) लि.	800.00	800.00
कुल	**2,750.00**	**2,750.00**

अन्य आस्तियां

XI.23 'अन्य आस्तियां' में उपचित किंतु प्राप्त न हुई आय, अचल आस्तियां, बैंकिंग विभाग में धारित स्वर्ण, पूरी नहीं हुई परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि और स्टाफ अग्रिम आते हैं। 'अन्य आस्तियां' का स्तर 30 जून 2008 के 30,805.95 करोड़ रुपए से 332.80 करोड़ रुपए बढ़कर 30 जून 2009 को 31,138.75 करोड़ रुपए हो गया।

लेखापरीक्षक

XI.24 रिज़र्व बैंक के 2008-09 के लेखों की लेखापरीक्षा मे. कल्याणीवाला एंड मिस्त्री, मुंबई और मे. मुकुंद एम. चितले एंड कं., मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में की गई। शाखा कार्यालयों की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों, नामतः मे. बसंत राम एंड सन्स, नई दिल्ली, मे. वेद प्रकाश अग्रवाल एंड कं., नागपुर, मे. जी.नटेसन एंड कं., चेन्नई और मे. एस.के. बसू एंड कं., कोलकाता ने की।

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2009 की स्थिति का तुलन-पत्र

निर्गम विभाग

(हजार रुपए)

2007-08	देयताएं	2008-09	2007-08	आस्तियां	2008-09
	बैंकिंग विभाग में			स्वर्ण सिक्के तथा सोना-चांदी:	
16,22,71	रखे गए नोट 21,25,80		32308,81,20	(क) भारत में धारित 38326,27,06	
612323,93,51	संचलन में नोट 701655,32,71		–	(ख) भारत के बाहर धारित –	
			578878,86,61	विदेशी प्रतिभूतियां 662064,41,42	
612340,16,22	कुल जारी नोट	701676,58,51	611187,67,81	कुल	700390,68,48
			106,05,41	रुपया सिक्का	239,47,03
			1046,43,00	भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	1046,43,00
			–	आंतरिक विनिमय पत्र एवं अन्य वाणिज्यिक पत्र	–
612340,16,22	कुल देयताएं	701676,58,51	612340,16,22	कुल आस्तियां	701676,58,51

बैंकिंग विभाग

2007-08	देयताएं	2008-09	2007-08	आस्तियां	2008-09
5,00,00	प्रदत्त पूंजी	5,00,00	16,22,71	नोट	21,25,80
6500,00,00	आरक्षित निधि	6500,00,00	3,57	रुपया सिक्के	4,77
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		6,23	छोटे सिक्के	3,41
17,00,00	(दीर्घावधि परिचालन) निधि	18,00,00			
	राष्ट्रीय आवास ऋण				
191,00,00	(दीर्घावधि परिचालन) निधि	192,00,00			
	जमाराशि			खरीदे तथा भुनाए गए बिल:	
	(क) सरकार		–	(क) आंतरिक	–
191626,05,59	(i) केंद्र सरकार	22990,42,88	–	(ख) बाह्य	–
41,31,39	(ii) राज्य सरकारें	41,34,50	–	(ग) सरकारी खजाना बिल	–
	(ख) बैंक				
298809,97,22	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	250664,49,62			
4122,66,68	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3520,91,11	688343,34,97	विदेशों में रखी गई राशि	512320,77,65
5186,27,25	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	3489,08,20			
63,20,69	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	67,07,47	129208,79,55	निवेश	151675,42,39
8699,14,56	(v) अन्य बैंक	6671,76,11			
12110,22,52	(ग) अन्य	16475,59,86		निम्नलिखित को दिए गए ऋण तथा अग्रिम :	
			–	(i) केंद्र सरकार	–
			–	(ii) राज्य सरकार	–
319,29,20	देय बिल	195,86,03		निम्नलिखित को दिए गए ऋण तथा अग्रिम :	
			2102,14,00	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	280,00,00
			–	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–
			–	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	–
			–	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–
			–	(v) नाबार्ड	–
			132,68,98	(vi) अन्य	11102,82,48
322968,10,34	अन्य देयताएं	395707,55,24		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश:	
				(क) निम्नलिखित को दिए गए ऋण तथा अग्रिम:	
			–	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–
			–	(ii) भारतीय निर्यात आयात बैंक	–
			–	(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	–
			–	(iv) अन्य	–
				(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश:	
			–	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–
			–	(ii) भारतीय निर्यात आयात बैंक	–
			–	(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	–
			–	(iv) अन्य	–
				राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश :	
			50,00,00	(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और अग्रिम	–
			–	(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों में निवेश	–
			30805,95,43	अन्य आस्तियां	31138,74,52
850659,25,44	कुल देयताएं	706539,11,02	850659,25,44	कुल आस्तियां	706539,11,02

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखे पर टिप्पणियां अनुबंध में दी गई हैं।

30 जून 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

(हजार रुपए)

2007-08	आय		2008-09
21112,12,68	ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि [1]		33230,88,41
21112,12,68	जोड़		33230,88,41
	व्यय		
2,58,19	ब्याज		1,32,87
1430,86,61	स्थापना		2448,25,15
1,79,12	निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और खर्च		1,66,90
30,56,42	खजाना विप्रेषण		32,45,84
2111,13,56	एजेंसी प्रभार		2999,19,46
2032,23,04	प्रतिभूति मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि)		2063,16,97
16,29,01	मुद्रण और लेखन-सामग्री		20,63,03
38,60,16	डाक-टिकट और दूरसंचार प्रभार		52,69,10
69,17,25	किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		85,87,49
2,01,16	लेखा-परीक्षकों के शुल्क और खर्च		2,26,68
2,13,64	विधि प्रभार		2,32,80
156,16,54	बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और उसकी मरम्मत		234,56,38
203,57,98	विविध व्यय		273,45,74
6097,12,68	जोड़		8217,88,41
15015,00,00	उपलब्ध शेष राशि		25013,00,00
	घटाइए: निम्नलिखित में अंशदान:		
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1,00,00	
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि [2]	1,00,00	
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि [2]	1,00,00	
	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1,00,00	
4,00,00			4,00,00
15011,00,00	केंद्रीय सरकार को देय अधिशेष		25009,00,00

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार 27,501,09,93 हजार रुपए (2007-08 - में 36638,65,84 हज़ार रुपए) का सामान्य या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।
2. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं ।

एस.वी.राघवन	के.सी.चक्रवर्ती	उषा थोरात	श्यामला गोपीनाथ	डी. सुब्बाराव
मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक, इसके द्वारा केंद्रीय सरकार को 30 जून 2009 की स्थिति का बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ।

हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के 30 जून 2009 की स्थिति के तुलन-पत्र की और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि लेखे की जांच की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से जो जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा, वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिए गए और वे संतोषजनक हैं ।

इस वित्तीय विवरण में बैंक के उन्नीस लेखा यूनिटों के लेखा शामिल किए गए हैं जो सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित हैं। शाखा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है जिसे हमने रिपोर्ट तैयार करते समय विचारार्थ लिया है।

इन वित्तीय विवरणों के प्रति उत्तरदायित्व बैंक-प्रबंधन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की है । इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त है। लेखा-परीक्षा में, परीक्षण आधार पर, वित्तीय विवरण में राशि और प्रकटन की पुष्टि करनेवाले साक्ष्यों की जाँच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है । हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज, महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके ।

कृते कल्याणीवाला एंड मिस्त्री	कृते मुकुंद एम्. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
देरायस जेड, फ्रेजर,	अभय वी कामत
भागीदार	भागीदार
(सदस्यता क्र. 42454)	(सदस्यता क्र. 39585)

दिनांक : 13 अगस्त 2009

अनुबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और 2008-09 के लेखे पर टिप्पणियां

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किए जाते हैं और जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, ऐतिहासिक लागत पर आधारित हैं।

विवरणों में अपनाई गई लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनाई गई लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

2. राजस्व निर्धारण

आय और व्यय का निर्धारण दंडात्मक ब्याज और लाभांश को छोड़कर, उपचित आधार पर किया जाता है क्योंकि उनकी गणना प्राप्ति-आधार पर की जाती है। केवल वसूली गई प्राप्तियों को ही आय के रूप में माना जाता है।

देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावी और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और रिज़र्व बैंक की आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें भुगतान वर्ष की आय में से वसूल किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को पूर्ववर्ती सप्ताह /पूर्ववर्ती माह/ वर्षांत के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

3. स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

(क) स्वर्ण

स्वर्ण का मूल्य निर्धारण माह के अंत में उस माह के लिए औसत दैनिक लंदन मूल्य के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। उसके समकक्ष रुपए का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में समायोजित किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं सप्ताह के अंतिम कारोबार के दिन तथा माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शाई जाती हैं।

वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्राओं में आस्तियां और देयताएं, उन मामलों को छोड़ कर, जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित हैं, अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शाई जाती हैं। खज़ाना बिलों के अलावा, विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही-मूल्य अथवा प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य से कम कीमत पर किया जाता है। मूल्यह्रास का समायोजन चालू आय से किया जाता है। विदेशी खज़ाना बिलों का मूल्यन लागत पर किया जाता है। वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं का मूल्यांकन छमाही रूप से किया जाता है और यदि कोई निवल हानि हो तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि का हिसाब मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में किया जाता है तथा वे उसी में समायोजित किए जाते हैं।

4. रुपया प्रतिभूतियां

खज़ाना बिलों को छोड़कर निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित आय-वक्र पर आधारित दर पर किया जाता है। मूल्य में ह्रास का समायोजन चालू ब्याज आय से किया जाता है।

खज़ाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

5. शेयर

शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

6. अचल आस्तियां

अचल आस्तियों का उल्लेख उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दिया जाता है।

कम्प्यूटरों (1 लाख रुपए और उससे अधिक की लागतवाले सॉफ्टवेयर सहित), मोटर वाहनों, कार्यालय उपस्करों, फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग आदि पर मूल्यह्रास सीधी कटौती के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

परिसर और फिक्सचरों सहित अन्य आस्तियों संबंधी मूल्यह्रास को उनके घटते हुए मूल्य के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

1 लाख रुपए से कम लागत वाले साफ्टवेयर और 10,000 रुपए से कम की लागतवाली अन्य अचल आस्तियां उनके अभिग्रहण के वर्ष के लाभ / हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं ।

अचल आस्तियों से संबंधित वर्ष के अंत में शेष रकम पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

7. कर्मचारी लाभ

दीर्घावधि कर्मचारी लाभ की देयता का आकलन बीमांकित मूल्य निर्धारण के आधार पर किया जाता है।

8. आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि

आकस्मिकता आरक्षित निधि प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास, विनिमय गारंटियों और मौद्रिक/विनिमय दर नीति संबंधी अनिवार्यताओं से उभरी जोखिमों सहित अप्रत्याशित और आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपलब्ध कराई गई राशि को दर्शाती है।

आंतरिक पूंजीगत व्यय की पूर्ति तथा सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं में निवेश करने के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है और उसे आस्ति विकास आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

लेखे पर टिप्पणियां

1. भारत सरकार को अधिशेष का अंतरण

सरकार को अंतरित किए जानेवाले अधिशेष में, विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री-योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने से 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक की अवधि से संबंधित ब्याज अंतर के रूप में 1436.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1,699.00 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

2. उद्दिष्ट प्रतिभूतियां

रिज़र्व बैंक ने भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण (सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी) निधि की देयता की पूर्ति के लिए, अपने निवेश लेखे में से 8849.97 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7,202.24 करोड़ रुपए) की राशि की कुछ सरकारी प्रतिभूतियां उद्दिष्ट की हैं।

3. आरक्षित निधि

आरक्षित निधि में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में किया गया 5.00 करोड़ रुपए का अंशदान और अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से हुई 6,495.00 करोड़ रुपए की मूल्यवृद्धि शामिल है। उसके पश्चात् मासिक आधार पर स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से होनेवाले लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में लिया जाता है।

4. जमाराशि

4.1 केंद्र सरकार की जमाराशि में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत परिचालनों से प्राप्त 22,889.92 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 1,74,432.56 करोड़ रुपए) शामिल है। राज्य सरकारों की जमाराशि में केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी सरकार की शेष राशि शामिल है।

4.2 जमाराशियों का विवरण - अन्य :

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2008	2009
1	2	3
I. विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं की रुपया जमाराशियां	4,266.24	3,758.94
II. भारतीय वित्तीय संस्थाओं की जमाराशियां	253.61	335.08
III. संचित सेवानिवृत्ति-लाभ	7,149.68	8,303.08
IV. विविध	440.70	4,078.50
जोड़	**12,110.23**	**16,475.60**

5. अन्य देयताओं के विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून के अनुसार 2008	2009
1	2	3
I. आकस्मिकता आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	93,770.07	1,27,200.81
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	33,430.74	26,191.40
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1,27,200.81**	**1,53,392.21**
II. आस्ति विकास आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	9,564.33	12,772.25
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	3,207.92	1,309.70
वर्ष के अंत में शेष राशि	**12,772.25**	**14,081.95**
III. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	21,723.52	1,63,211.83
जोड़ें: वर्ष के दौरान	1,41,488.31	35,630.20
निवल उपचय (+)/निवल उपयोग (-)	-	
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1,63,211.83**	**1,98,842.03**
IV. विदेशी मुद्रा समकरण खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	9.68	-
विनिमय खाते से अंतरण	21.69	26.98
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/		
निवल उपयोग (-)	(-) 31.37	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	**26.98**
V. अदत्त व्यय के लिए प्रावधान	**1,759.01**	**1,822.88**
VI. भारत सरकार को अंतरण-योग्य अधिशेष	**15,011.00**	**25,009.00**
VII. कर्मचारी लाभ अस्थायी आरक्षित निधि	**346.89**	**0.00**
VIII. विविध	**2,666.31**	**2,532.50**
जोड़ (I to VIII)	**3,22,968.10**	**3,95,707.55**

6. कर्मचारी लाभ

लेखांकन मानक (एएस) 15 - कर्मचारी लाभ (संशोधित) के अनुसरण में दीर्घावधि कर्मचारी लाभ की देयता का 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट' पद्धति से पता लगाया गया तथा खातों में उसके लिए प्रावधान किया गया।

वर्ष के दौरान कुछ दीर्घावधि कर्मचारी लाभों में वृद्धि के कारण 1 जुलाई 2008 की संशोधित पूर्व सेवा देयता संबंधी 426.15 करोड़ रुपए की राशि को 'कर्मचारी लाभ अस्थायी आरक्षित निधि' खाता में उपलब्ध शेष के प्रति 346.89 करोड़ रुपए की सीमा तक राशि और स्थापना व्यय के प्रति 79.26 करोड़ रुपए की शेष राशि प्रभारित की गई।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य खाता

'अन्य देयताओं' के अंतर्गत अंतर-कार्यालय लेनदेनों और समाधान के अधीन शेषों से संबधित 7.61 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 61.49 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है। ये प्रविष्टियाँ समाधान के विभन्न स्तरों पर है तथा जब भी उनका निश्चित पता चल जाता है उनका आवश्यक समाधान किया जाता है।

8. रुपया निवेश

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीद (रिपो) और बेची गई (रिवर्स रिपो) प्रतिभूतियों को 'निवेशों' में क्रमशः जोड़ा और घटाया गया है । वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार बकाया रिपो और रिवर्स रिपो की राशि क्रमश: 895.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 22,805.00 करोड़ रुपए) और 88,335.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 300.00 करोड़ रुपए) थी।

9. विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून के अनुसार 2008	2009
1	2	3
I. निर्गम विभाग में रखी गई	5,78,878.87	6,62,064.41
II. बैंकिंग विभाग में रखी गई -		
क) निवेशों में शामिल	31,329.83	43,156.61
ख) विदेशों में रखी गई राशि	6,88,343.35	5,12,320.78
जोड़	**12,98,552.05**	**12,17,541.80**

टिप्पणी : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के आंशिक प्रदत शेयरों पर न मांगी गई राशि 30 जून 2009 को 89.47 करोड़ रुपए (एसडीआर 1,20,41,250)थी । पिछले वर्ष में यह राशि 84.49 करोड़ रुपए (एसडीआर 1,20,41,250) थी ।

10. अन्य आस्तियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2008	2009
1	2	3
I. अचल आस्तियां (संचित मूल्यह्रास को घटाकर)	479.75	609.40
II. स्वर्ण	7,239.51	8,587.82
III. उपचित, परंतु प्राप्त न हुई आय	22,203.28	16,734.04
IV. विविध	883.41	5,207.49
जोड़	**30,805.95**	**31,138.75**

11. ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि

ब्याज आय प्रतिभूतियों के पुनर्मल्यन पर मूल्यह्रास घटाकर 17,430.65 करोड़ रुपए है।

निम्नलिखित मदों में ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि शामिल हैं।

(करोड़ रुपए)

विवरण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष	
	30 जून 2008	30 जून 2009
1	2	3
I. विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	7,823.52	18,957.36
II. बैंक की सम्पत्ति की बिक्री पर निवल लाभ	25.10	7.36
III. सहायक तथा सहयोगी से लाभांश@	440.07	-

@:रिजर्व बैंक को एसबीआइ की इक्विटी में धारिता पर जून 2007 को समाप्त वर्ष के लाभांश की नकद आधार पर गिनती की गई। बैंक की एसबीआइ में संपूर्ण इक्विटी धारिता 29 जून 2007 को सरकार को अंतरित की गई।

12. चालू वर्ष की प्रस्तुति से अनुरूप रखने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े आवश्यकतानुसार पुनःसमूहबद्ध / पुनः श्रेणीबद्ध किए गए हैं।